भट्टा मजदूर

पत्रिका 03

सितंबर 2014 – नवंबर 2014

ईंट भट्टा उद्योग से बंधुआ मजदूरी का खात्मा

चमकौर सिंह की कहानी

चमकौर सिंह दो साल से एक ईंट भट्टे में काम कर रहे थे। यह मजदूरी सितंबर 2012 में उनके द्वारा लिए गए एक कर्जे के एवज में थी। तभी से उन्हें कोई तनख्वाह नहीं मिली है। सितंबर 2014 में उनकी पत्नी ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। नवजात शिशु को कुछ समय बाद ही पीलिया हो गया। उसे फौरन इलाज की जरूरत थी।

चमकौर सिंह पैसे की गुहार लगाते भट्टा मालिक के पास गए। भट्टा मालिक ने न केवल उनको पैसा देने से इनकार कर दिया बल्कि धमकी दी कि अगर उन्होंने बार–बार पैसा मांगा या काम करने से इनकार किया तो वह उनको जेल में बंद करवा देगा। और, एक दिन सचमुच आधी रात को उसके गुंडे चमकौर सिंह के दरवाजे पर दबिश देने पहुंच गए। वे पीकर धुत और हथियारों से लैस थे।

डर के मारे चमकौर सिंह भट्टे से भाग गए। अगली सुबह पुलिस ने उनके पिता जगतार सिंह को हिरासत में ले लिया। भट्टे पर चमकौर सिंह की पत्नी और दस दिन के बीमार शिशु को देखने वाला कोई नहीं था।

चमकौर सिंह का परिवार उन 1,000 बंधुआ मजदूर परिवारों में से एक है जिनकी शिकायत मार्च 2013 में एनएचआरसी के समक्ष दर्ज कराई गई थी।

भट्टा उद्योग को खान अधिनियम के अंतर्गत रखा गया है और यह उद्योग केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से क्लीयरेंस लिये बिना नहीं चलाया जा सकता। खान अधिनियम के अंतर्गत रियायतों की मांग करते हुए पंजाब के ईंट भ्टटा मालिकों के संगठन ने अगस्त 2012 में हड़ताल भी कर दी थी। मगर, क्योंकि वे मजदूरों को पहले ही पेशगी दे चुके थे और उन्हें काम के लिए भट्टों में लाया जा चुका था इसलिए हड़ताल के बावजूद न तो मजदूरों को कोई और नौकरी करने की छूट दी गई और न ही उन्हें भट्टे से जाने दिया गया। हड़ताल की अवधि के लिए उन्हें कोई मजदूरी भी नहीं मिली। यदा–कदा भट्टा मालिक उन्हें थोड़ा बहुत पैसा दे देते थे मगर यह पैसा भी फौरन ही उनके कर्जे में जोड़ दिया जाता था। हड़ताल के दौरान हजारों मजदूर भूखों मरने की कगार पर पहुंच गए थे।

दिसंबर 2012 से फरवरी 2013 के बीच पंजाब के तीन जिलों – अमृतसर, तरणतारण और फिरोजपुर – में वीएसजे ने एक सर्वेक्षण किया था और 1,000 बंधुआ मजदूर परिवारों के बारे में जानकारियां इकट्ठा की थीं। इसके बाद इस हड़ताल की अवैधानिकता पर एनएचआरसी में एक याचिका भी दायर की गई। एनएचआरसी ने जिला मजिस्ट्रेटों को फौरन जांच शुरू करने का आदेश दिया। कुछ समय बाद वीएसजे की तरफ से आयोग को जानकारी दी गई कि राज्य प्रशासन आयोग के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है। चमकौर सिंह के मामले को एक मिसाल के तौर पर आयोग के समक्ष जमा कराया गया था और एनएचआरसी की एक टीम मामले की जांच करने के लिए भेजी गई थी। मौके पर जाकर जांच की गई। जो बंधुआ मजदूर पाए गए उन्हें मुक्त कराया गया और उन्हें मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए।

गोइंडवाल साहेब, जिला तरणतारण (एफआईआर संख्या 155, दिनांक 8 नवंबर 2014) में बंधुआ श्रम (उन्मूलन) प्रथा अधिनियम के अनुच्छेद 16 और 17 के अंतर्गत ईंट भट्टा मालिक के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई गई। गौरतलब है कि पंजाब में इस कानून के तहत बहुत कम एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। चमकौर सिंह और उनके परिवार को प्रारंभिक पुनर्वास राशि दी गई। आज चमकौर सिंह वीएसजे के साथ सम्माजनक श्रम एवं सशक्तिकरण कोऑर्डिनेडर के रूप में काम कर रहे हैं।

चित्र: दिल्ली में आयोजित बंधुआ मजदूरी की एक बैठक में हिस्सा लेते हुए चमकौर सिंह (पीली कमीज)

प्रकाशक : सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, 173– ए, खिडकी गांव, मालवीय नगर, नई दिल्ली – 110 017

फोन : 011 29541858/ 29541841, ई–मेल : cec@cec-india.org

सीईसी एवं वीएसजे व एएसआइ के सयुंक्त परियोजना के अंतर्गत

बंधुआ मजदूरी एवं अनौपचारिकता पर राष्ट्रीय सेमिनार : भारत के ईंट भट्टे

भारत सरकार की ओर से आपातकाल के दौरान 25 अक्टूबर 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा जारी किए गए **बंधुआ श्रम प्रथा (उन्मूलन) अध्यादेश, 1975** के माध्यम से बंधुआ मजदूरी को अधिकृत रूप से निषिद्ध घोषित कर दिया गया था। अध्यादेश में कहा गया था कि "इस अध्यादेश के जारी होने के साथ ही देश से बंधुआ श्रम प्रथा समाप्त घोषित की जाती है और प्रत्येक बंधुआ मजदूर को तत्पश्चात मुक्त माना जाएगा और वह किसी भी तरह का बंधुआ श्रम करने के दायित्व से पूरी तरह स्वतंत्र होगा।" तत्पश्चात संसद के दोनों सदनों ने फरवरी 1976 में **बी एल एस ए** अधिनियम पारित किया और सरकार की ओर से **बी एल एस ए नियामावली, 1976** जारी की गई।

बंधुआ मजदूरी के बदलते स्वरूप

विभिन्न अध्ययनों एवं आपबीतियों से पता चलता है कि बंधुआ मजदूरी को परंपरागत और स्थिर परिघटना के रूप में दिखाने वाले काल और परिवेश का तानाबाना बुरी तरह ढीला पड़ चुका है। अब बंधुआ मजदूरी को वैसी ग्रामीण और पीढ़ी दर पीढ़ी बंधुआ मजदूरी के रूप में नहीं देखा जाता है जिसमें सामाजिक और आर्थिक अर्धसामंती संबंधों पर ज्यादा जोर दिया जाता था। आजकल की बंधुआ मजदूरी श्रमिकों के शोषण की एक ज्यादा लचीली और परिवर्तनशील व्यवस्था है। यह आर्थिक व सामाजिक निर्भरता की एक ऐसी व्यवस्था को प्रतिबिंबित करती है जिसमें बंधुआ मजदूरी कर्ज के माध्यम से मजदूरों को नाजुक स्थिति में ढकेल देती है। बंधुआ मजदूरों के प्रसंग में यह कर्ज हमेशा श्रम बाजार में प्रवेश करने और एक नियोक्ता–मजदूर संबंध स्थापित करने की पूर्व शर्त होती है मगर बंधुआ मजदूरी के जितने भी मामलों का अध्ययन किया गया है उनमें मजदूरी (खासतौर से न्यूनतम मजदूरी) का भुगतान सुनियोजित ढंग से विलंबित रहता है, उसमें लगातार कटौतियां की जाती हैं या उसका भुगतान रोक दिया जाता हैं। खातों में हेरफेर, भारी–भरकम ब्याज दरों और शासन के साथ मिलीभगत के चलते बंधुआ मजदूरों का कर्जा कभी भी जल्दी खत्म नहीं होता।

ईंट भट्टों में बंधुआ मजदूरी

भारत को मिट्टी की ईंटों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। दुनिया की तकरीबन 10 प्रतिशत ईंटें भारत में ही बनती हैं। भारत के ईंट भट्टों को एक ऐसे औद्योगिक क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है जहां गैर–खेतिहर बंधुआ मजदूरी की भरमार है। इस बारे में स्पष्ट आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं कि पूरे भारत में कुल कितने ईंट भट्टे चल रहे हैं मगर अनुमान लगाया जाता है कि देश भर में लगभग 50,000 से 1,00,000 ईंट भट्टे तो जरूर हैं और उनमें कम से कम 1.25 करोड़ से 2.50 करोड़ मजदूर काम करते हैं। यानी सीजन के दौरान ईंट भट्टा उद्योग ही भारत के 46.02 करोड़ मजदूरों में से 5 प्रतिशत से ज्यादा मजदूरों को रोजगार देता है।

सेमिनार

ईंट भट्टों में बंधुआ मजदूरी पर प्रकाश डालने के लिए 17 नवंबर 2014 को सीईसी और सेंटर फॉर इनफॉर्मल सेक्टर ऐण्ड लेबर स्टडीज, जेएनयू के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का उद्देश्य अकादमिक जगत और कार्यकर्ताओं को एक साझा मंच पर लाना था ताकि विभिन्न मुद्दों को नए, गैर–परपंरागत ढंग से देखा जा सके और विचारों का आदान–प्रदान किया जा सके। इस सेमिनार में जिन मुद्दों पर बात की गई उनमें ईंट भट्टों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, ईंट भट्टों में इस्तेमाल की जा रही तकनीक व उसके निहितार्थ, श्रम बाजार की विशेषता, बंधुआ मजदूरी को कायम रखने वाले कारकों, जाति एवं ईंट भट्टा मजदूरी, जेंडर एवं ईंट भ्टटा मजदूरी, प्रवासन एवं ईंट भट्टा मजदूरी, केस लॉ और उनके निहितार्थ, सामूहिक सौदेबाजी और इसके प्रभावों आदि पर चर्चा की गई।

चित्र: सेमिनार में चंदन कुमार की प्रस्तुति से

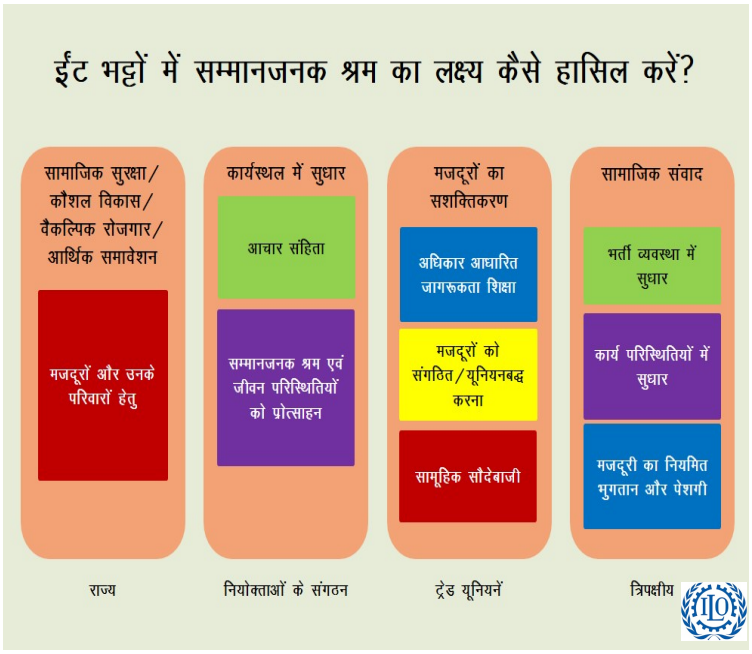

चित्र: सेमिनार में नीतू लाम्बा की प्रस्तुति से

प्रकाशक : सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, 173– ए, खिडकी गांव, मालवीय नगर, नई दिल्ली – 110 017
फोन : 011 29541858/ 29541841, ई–मेल : cec@cec-india.org
सीईसी एवं वीएसजे व एएसआइ के सयुंक्त परियोजना के अंतर्गत

आईएलओ जबरिया श्रम प्रोटोकॉल पर ऑनलाईन संवाद

जे. जॉन के लेख 'ए रिलक्टेंट इंडिया' के अंश

'ए रिलक्टेंट इंडिया' नामक अपने लेख में जे. जॉन ने जबरिया श्रम कन्वेंशन और भारत के लिए उसकी प्रासंगिकता पर बात की है। उनका कहना है कि बंधुआ श्रम प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1976 (बी एल एस ए ए अथवा बीएलए) कानून आईएलओ की जबरिया श्रम कन्वेंशन, 1930 तथा संयुक्त राष्ट्र दासता, दास व्यापार एवं दासता समान व्यवहार व संस्थान उन्मूलन पूरक कन्वेंशन, 1956 से प्रेरित था।

जॉन का कहना है कि बीएलएसएए अभी भी दोषी को दंडित करने की बजाय एक मानवतावादी और कल्याणकारी पद्धति पर जोर देने वाले एक विधायी हस्तक्षेप का उदाहरण है। इस प्रकार, यह कानून बंधुआ मजदूरी की प्रथा को एक अपराध घोषित करता है। इसके बावजूद, अभी तक इस कानून के तहत न तो किसी को सजा दी गई है और न ही यह बंधुआ मजदूरी तथा इसी तरह के अन्य व्यवहारों में लोगों की खरीद–फरोख्त को रोकने में कोई खास सफलता पा सका है।

हमारे देश में बंधुआ मजदूरी पर कोई अधिकृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं मगर अनधिकृत रूप से माना जाता है कि आज भी लाखों मजदूर पेशगी के एवज में और आवाजाही पर लगी सख्त पावंदियों के हालात में अपनी इच्छा के विरुद्ध मजदूरी कर रहे हैं। भारत में ईंट भट्टों की स्थिति इसी बात का एक ज्वलंत उदाहरण है। इस उद्योग में काम करने वाले लगभग 90% मजदूर प्रवासी मजदूर होते हैं और उन्हें पेशगी के बदले ही काम पर रखा जाता है। हर सीजन में 30 से 40 लाख ईंट तैयार करने वाले एक भट्टे पर औसतन 250 मजदूर होते हैं। पूरे भारत में ईंट भट्टों की संख्या 50,000 से 1,00,000 के बीच बताई जाती रही है। इसका मतलब है कि ईंट भट्टों में मजदूरों की संख्या सीजन के दौरान 1.25 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच होती है और उनमें से ज्यादातर मजदूर बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे प्रवासी मजदूर होते हैं।

बंधुआ एवं जबरिया मजदूरी के खिलाफ भारतीय कानूनों की इस ढिलाई के पीछे अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक (रोजगार एवं सेवा परिस्थिति नियमन) अधिनियम, 1978 के बेहद कमजोर प्रावधानों का भी हाथ रहा है क्योंकि इस कानून में मानव व्यापार के खिलाफ कोई प्रावधान तक नहीं है। बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 में भी कई गंभीर खामियां हैं। यह कानून केवल उन व्यवसायों पर ही लागू होता है जिनको खतरनाक व्यवसायों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें 'बच्चा' की परिभाषा पर व्यापक सहमति नहीं है और बच्चों की खरीद–फरोख्त को रोकने के लिए समुचित प्रावधान नहीं है। उपयुक्त राष्ट्रीय कानून निर्धारित करना सरकारों का दायित्व है और यह इस पर निर्भर करता है कि वे इस प्रोटोकॉल को किस गंभीरता से लागू करते हैं, मानवाधिकार रक्षक कितने चौकस हैं और मजदूर संगठन जबरिया श्रम के खिलाफ कितनी मजबूती से संघर्ष कर पाते हैं।

जॉन का कहना है कि अगर आईएलओ की जबरिया श्रम कन्वेंशन के प्रोटोकॉल को भारतीय नागरिकों के लिए सार्थक बनाना है तो भारत सरकार को सक्रिय रवैया अपनाना होगा और अपने वैधानिक एवं नियमन प्रावधानों को दुरुस्त करना होगा। साथ ही वह मानवाधिकार रक्षकों और मजदूर संगठनों से भी आह्वान करते हैं कि वे दासता के समकालीन रूपों को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाएं।

प्रवीण झा के लेख 'ए रिलक्टेंट इंडिया' के अंश

प्रवीण झा का कहना है कि बंधुआ मजदूरी की व्यवस्था नियोक्ता/कर्जदार द्वारा दिए गए कर्ज–पेशगी पर आधारित अमुक्त श्रम की व्यवस्था है। दोनों पक्षों के बीच यह अनुबंध मौखिक या लिखित हो सकता है। कर्ज लेने वाले या उसके परिवार के किसी सदस्य के पास नियमित आय के लिए कहीं मजदूरी करने का अधिकार नहीं होता क्योंकि पहले उसे अपना कर्जा उतारना होता है और यह कर्जा उतारने की जिम्मेदारी सिर्फ कर्जदार के ऊपर ही नहीं होती बल्कि उसके परिवार के सदस्यों और यहां तक कि उसके वंशजों के ऊपर भी आ जाती है। झा का कहना है कि बंधुआ मजदूरी प्रथा के अंतर्गत मजदूर मालिकों के रहमोकरम पर होते थे और उनको वे सारे काम करने पड़ते थे। उनका ये भी कहना है कि बंधुआ मजदूरों में कुछ खास जातियों और समुदायों की ही बहुतायत रही है।

बीएलए कानून को भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए एक ऐतिहासिक कानून की संज्ञा देते हुए झा का कहना है कि यह कानून बंधुआ मजदूरों की शिनाख्त और पुनर्वास के लिए स्पष्ट प्रावधान करता है जबकि इस तरह किसी से मजदूरी कराने को संज्ञेय अपराध घोषित करता है। हालांकि यह कानून एक अभूतपूर्व कानून था मगर मूल रूप से यह कानून केवल परंपरागत बंधुआ मजदूरी प्रथा तक ही सीमित है। झा ने 'नव बंधुआ मजदूरी' के नाम से बंधुआ मजदूरी के कई नए रूपों का भी जिक्र किया है जो बीते सालों के दौरान पैदा हुई है जबकि पुरानी और परंपरागत प्रथा भी समानांतर रूप से जिंदा है हालांकि अब वह पहले जितनी व्यापक दिखाई नहीं देती। झा के मुताबिक बंधुआ एवं नव बंधुआ मजदूरी के सह–अस्तित्व की भौतिक वजह यह है कि लोगों के पास जमीन व अन्य संसाधन नहीं हैं और रोजगार के अवसर आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।

झा कहते है कि भारत के 90 प्रतिशत से ज्यादा मजदूर अनौपचारिक क्षेत्र में मजदूरी कर रहे हैं। उनमें बहुत सारे मजदूर प्रायः नजरों से ओझल रहते हैं, उनका जम कर शोषण किया जाता है, वे नियमित रूप से उत्पीड़न के शिकार बनते हैं और बहुधा अमानवीय परिस्थितियों में काम करते हैं। मगर दुर्भाग्यवश सरकारी रिकॉर्ड्स और चर्चाओं में इन सबकी विरले ही कभी चर्चा आती है। घरेलू मजदूरी के अलावा निर्माण मजदूरी, ईंट भट्टा मजदूरी, पत्थर की खदानों में मजदूरी, कालीन बुनाई आदि भी लगभग पूरी तरह मजदूर की स्वतंत्रता छीन लेती है। इस तरह के तकरीबन सभी मजदूरों को दिहाड़ी और असुरक्षित अनुबंधों में रोजगार मिलता है जिसे मालिक जब चाहे बदल सकते हैं या रद्द कर सकते हैं। इन सारे व्यवसायों में बाल मजदूरी भी बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद है।

झा का कहना है कि बेहद अधूरे भूमि सुधारों और देश की निचली आधी आबादी के पास गतिशीलता व अवसरों का भारी अभाव इस तरह की वंचनाओं को कायम रखने का एक मुख्य कारण रहे हैं और यहीं से अकसर बंधुआ मजदूरी का भी औचित्य पैदा होता है। अपने लेख के आखिर में उन्होंने कहा है कि जब तक इन असली कारणों को दूर नहीं किया जाएगा तब तक केवल कानूनी विकल्पों पर आश्रित रहने से बंधुआ मजदूरी केवल 'भूमिगत' मजदूरी में तब्दील हो जाएगी। यानी वह हमें दिखाई देनी बंद हो जाएगी हालांकि वह अपनी जगह कायम रहेगी। उनका मानना है कि समकालीन परिस्थितियों में इन असली जड़ों को संबोधित करने की संभावना बहुत क्षीण दिखाई देती है। और लिहाजा प्रचलित नीति विमर्श को चुनौती देने के लिए हमें फिर से कमर कसनी होगी।

प्रकाशक : सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, 173– ए, खिडकी गांव, मालवीय नगर, नई दिल्ली – 110 017
फोन : 011 29541858/ 29541841, ई–मेल : cec@cec-india.org
सीईसी एवं वीएसजे व एएसआइ के सयुंक्त परियोजना के अंतर्गत

आईये इस कहानी के द्वारे जानिए बैंक खाता खोलने के फायदा

रमेष, उसकी बीवी बिंदिया और उसके दो बच्चों की कहानी। कुछ साल पहले सूखे की वजह से रमेश की फसल बरबाद हो गई थी। तब उसे गांव के महाजन से 6000 रुपये कर्जा लेना पड़ा। यह कर्जा चक्रवृद्धि ब्याज दर पर था। यानी कर्ज की रकम पर ब्याज हर महीने बढ़ता जाता था। देखते ही देखते ब्याज इतना हो गया कि रमेश का कर्जा 6,000 से बढ़ कर 10,000 रुपये तक जा पहुंचा।

उसी के गांव का बिट्टू नाम का एक आदमी भट्ठों में नौकरी दिलवाता था। वह बिचौलिया था। रमेश की हालत देख कर वह उसके पास गया और बोला कि अगर रमेश और बिंदिया दोनों गाजियाबाद में एक भट्ठे पर चलकर काम करें तो वह उन्हें 15,000 रुपये पेशगी दिलवा सकता है। 2010 में रमेश ने बिट्टू से पैसे लिये और वह और उसकी पत्नी बिंदिया, दोनों बंधुआ मजदूर बन गए। उसने 15,000 में से 10,000 महाजन को चुका दिए। 600 रुपये उसने गांव के दुकानदार का कर्जा चुका दिया। 42,00 रुपये लेकर रमेश और उसका परिवार गाजियाबाद जंक्शन की ट्रेन पकड़ कर चल पड़े। उनके टिकट का बंदोबस्त बिचौलिये ने किया था।

भट्ठे पर पहुंचने पर रमेश को बताया गया कि वह और उनकी पत्नी दोनों भट्ठे पर निकासिये का काम करेंगे और उन्हें पीस रेट पर मजदूरी मिलेगी। रमेश और उसकी पत्नी को रोज आठ घंटे काम करना होता था जिसके बदले उन्हें 290 रुपये प्रति हजार ईंट के हिसाब से कुल जमा 63 रुपये प्रति व्यक्ति मजदूरी पड़ती थी। महीने भर में ये मजदूरी 3700 रुपये तक बैठती थी। पहले महीने रमेश ने अपने 4200 रुपये में से 400 रुपये खाने–पीने पर खर्च किए। इसके बाद जो 3800 रुपये बचे उन्हें बिंदिया ने एक संदूक में रखकर ताला बंद कर दिया।

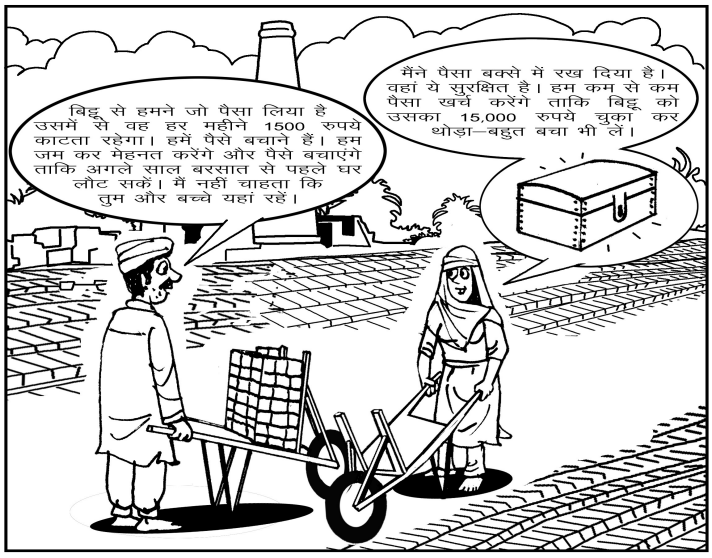

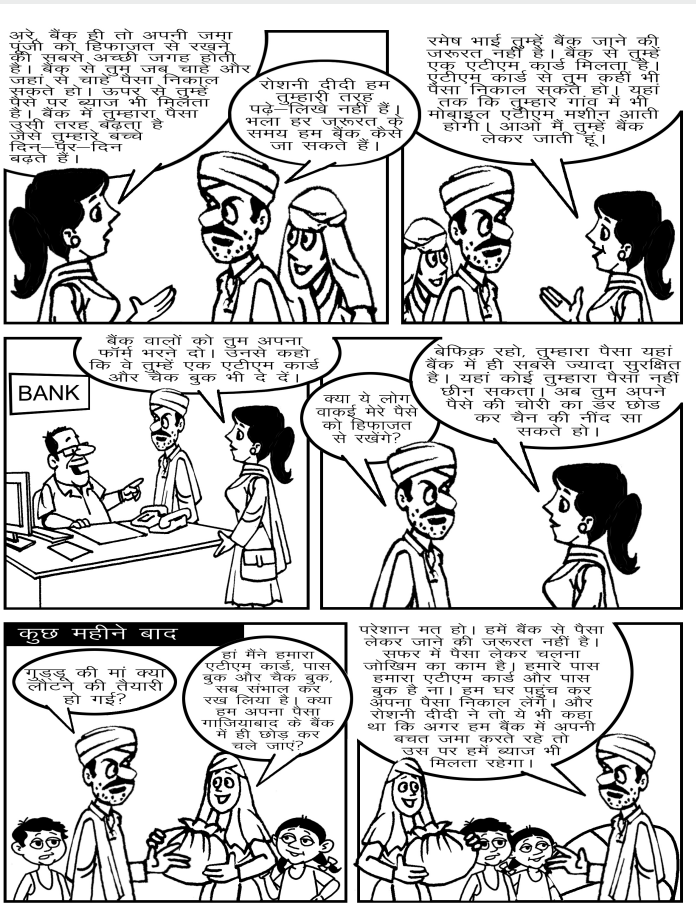

इस कार्टून श्रृंखला का श्रेय प्रवीण मिश्रा को जाता है

[redacted]

आईएलओ के वैश्विक अनुमान (2012) के अनुसार दुनिया भर में 2.1 करोड़ लोग जबरिया श्रम के शिकार हैं (जिनमें 1.14 करोड़ महिलाएं व लड़कियां हैं और 95 लाख पुरुष व लड़के हैं)।

इनमें से 19 लाख लोग निजी व्यक्तियों या उद्यमों द्वारा मुनाफे के लिए किए जा रहे शोषण से पीड़ित हैं।

इनके अलावा 20 लाख लोगों का राज्य और विद्रोही संगठनों द्वारा विनिर्माण गतिविधियों, निर्माण उद्योगों, घरेलू मजदूरी आदि व्यवसायों में शोषण किया जा रहा है।

[redacted]

वालंटियर्स फॉर सोशल जस्टिस

बी–१/६६५, रंजितगढ़ गुरुद्वारा रोड, ट्यूबवेल नं ३ के नजदीक, फिल्लौर, जालंधर, पंजाब, पिन नं – १४४४१०
टोल फ्री नं–१८०० १८० २४३२, ई–मेलः ddva2003@yahoo.com, ddva_vsj@hotmail.com, वेबसाईटः www.vsj-ddva.org

सहभागी Volunteers for Social Justice & Dalit Dasta Virodhi Andolan सहयोग anti-slavery today's fight for tomorrow's freedom द्वारा CEC BUILDING A WIDER HORIZON WITH LABOUR

प्रकाशक : सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, 173– ए, खिडकी गांव, मालवीय नगर, नई दिल्ली – 110 017
फोन : 011 29541858/ 29541841, ई–मेल : cec@cec-india.org
सीईसी एवं वीएसजे व एएसआइ के सयुंक्त परियोजना के अंतर्गत